

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग,**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**


// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 29 / 11 / 2017

क्रमांक एफ 10-5/2017/16 :- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2016/16, दिनांक 20/06/2017 में आटो/रिक्शा चालकों के "ई-रिक्शा सहायता योजना" में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

1. योजना के कंडिका (अ) (1) के बिंदु 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् "छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा रुपये 50,000/- अनुदान एकमुश्त दिया जावेगा।"
2. योजना के कंडिका (ब) (iii) विलोपित।
3. योजना के कंडिका (स) (iv) में शब्द रुपये 30,000/- के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् "रुपये 50,000/-"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(ए०के०के०टी)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29 / 11 / 2017


पृष्ठांकन एफ 10-5/2017/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)।
2. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)।
4. अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)।
5. कलेक्टर जिला- ..... (छ०ग०)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ०ग०)।
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय ..... (छ०ग०)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..... (छ०ग०)।
9. नोडल अधिकारी, छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

  
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग